पत्र सख्या-चे0पो0-25क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 0910060/05-11.09 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(चेकपोस्ट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: नवम्बर, 2009

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0 नु0शा0/अपील)/

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 नु0शा0/कार्यपालक)अपील /उच्च न्यायालय कार्य /सवोच्च न्यायालय कार्य)/

डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी ,

वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश । KEY Ward-1-47-Import/Penalty

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-25क-परिपत्र-2008 / 0809100 / वाणिज्य कर दिनांक 03-02-09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियो के लिये माल के परिवहन के दौरान जॉच के संबंध में विस्तार से दिशा-निर्देश दिये गये हैं ।

इस परिपत्र के प्रस्तर-14 मे पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त के अंदर अथवा प्रान्त बाहर से माल के परिवहन के समय पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में निम्नप्रकार से जमानत वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये है :-

" पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त से प्रान्त के अंदर माल के परिवहन के समय , माल के साथ कोई एक वैध प्रपत्र न पाये जाने पर माल को अभिग्रहीत करते समय देयकर की दो गुनी , अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत , जो भी कम हो , जमानत जमा करायी जाएगी । पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त से प्रान्त के बाहर माल का परिवहन करते समय कोई एक वैध प्रपत्र न पाये जाने पर जमानत की धनराशि माल पर देयकर की तीन गुनी अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत जो भी कम हो जमा करायी जाएगी । इसीप्रकार प्रान्त बाहर से प्रान्त के अंदर बिना आयात घोषणा पत्र अथवा आयात घोषणा पत्र मे घोषित माल से भिन्न माल , करापवंचन के उद्देश्य से आयात किये जाने पर जमानत की धनराशि माल पर देयकर के तीन गुना अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत , जो भी कम हो , ली जाएगी । "

प्रमुख सचिव , कर एवं निबन्धन विभाग , उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता मे दिनांक 05-10-09 को उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद की हुयी बैठक मे यह निर्णय लिया गया है कि पंजीकृत व्यापारियों के मामले में मांगी गयी जमानत की राशि प्रत्येक मामले में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत ली जाएगी ।

अत:परिपत्र संख्या-25क-परिपत्र-2008 / 0809100 / वाणिज्य कर दिनांक 03-02-09 के प्रस्तर -14 को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि वैट अधिनियम / वैट नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारियों के मामले में मांगी गयी जमानत की राशि प्रत्येक मामले में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत ली जाए ।

4/11/09

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।

2- अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।

5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

6- चेक पोस्ट अनुभाग को 15 प्रतियॉं अतिरिक्त ।

5/11/09

(पी0सी0 तिवारी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्म्स / चेकपोस्ट)

वाणिज्य कर, मुख्यालय ।